विविध **बैंक प्रकरण संख्या 46/2022**(GCMS : **2022/74**) **आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, रिजनल ऑफिस, रानी सागर कॉम्पलैक्स, जलजोग सर्किल, जोधपुर–342003 बनाम 1. संजय टेलीकॉम** जरिये प्रो. चरनजीत पता न्यू धान मण्डी रोड़, विजयनगर, श्रीगंगानगर – 335704 **2. संजय टेलीकॉम** पता गोरमेंट हॉस्पीटल रोड़, श्रीगंगानगर – 335704 **3. चरनजीत** पता न्यू धान मण्डी रोड, विजयनगर श्रीगंगानगर – 335704 **4. खेमचन्द** पता वार्ड नं 10, गांधी पार्क के नजदीक विजयनगर, श्रीगंगानगर –335704 एवं दुकान नं. 22, पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हो[illegible] तहसील बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर श्रीगंगानगर – 335704

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री विपिन सिद्ध उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण संजय टेलीकॉम–प्रो. चरनजीत, संजय टेलीकॉम, चरनजीत एवं खेमचन्द को ऋण सुविधा के रूप में 23,51,602/– रूपये (अखरे रूपये तेईस लाख इक्यावन हजार छः सौ दो मात्र) का ऋण दिनांक 06.11.2020 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी खेमचन्द की **सम्पत्ति दुकान नं. 22 पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हॉटल, तेहरी बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर– 335704** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता [illegible] 05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में [illegible] ऋणी के नाम दिनांक 31.07.2021 को 24,31,052/–रूपये ऋ[illegible] राशि व इसके पश्चा[illegible] ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अन्तर्गत **60 दिवस का नोटिस दिनांक 27.08.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 02.09.2021 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी खेमचंद द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति **दुकान नं. 22 पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हॉटल, तेहरी बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर– 335704** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** संजय टेलीकॉम–प्रो. चरनजीत, संजय टेलीकॉम, चरनजीत एवं खेमचन्द को 23,51,602/–रूपये(अखरे रूपये तेईस लाख इक्यावन हजार छः सौ दो मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 06.11.2020 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी खेमचन्द की सम्पत्ति **दुकान नं. 22 पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हॉटल, तेहरी बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर– 335704** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.05.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.08.2021 को जारी किये गये है तथा **पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 02.09.2021 को भिजवाया गया,** जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध **है तथा धारा 13(2) के नोटिस की पावती के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी खेमचन्द द्वारा अपनी सम्पति **दुकान नं. 22 पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हॉटल, तेहरी बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर– 335704** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.08.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.08.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 02.09.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और [illegible] के **अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है** [illegible] सुरक्षा की एवज में ऋणी खेमचन्द के द्वारा प्रार्थी बैंक के [illegible] बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और खेमचन्द की सम्पत्ति **दुकान नं. 22 पार्ट (दक्षिणी हिस्सा, उत्तरी हिस्से के नजदीक), ग्रीन हॉटल, तेहरी बाजारी (कपड़ा बाजार), श्रीविजयनगर– 335704 का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्माणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:40:18 IST
Reason: SelfAttested